सत्यमेव जयते

राजस्थान राज–पत्र
विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

माघ 17, बुधवार, शाके 1934–फरवरी 6, 2013
Magha 17, Wednesday, Saka 1934–February 6, 2013

भाग 1 (ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञाएं।

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग

अधिसूचना

जयपुर, फरवरी 04, 2013

विषय : 8 शहरी जलप्रदाय योजनायें क्रमशः श्रीगंगानगर, जैसलमेर, बूंदी, नागौर, करौली, नाथद्वारा, चौमू एवं नोखा को जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग से स्थानीय निकाय विभाग को हस्तान्तरण करने के संबंध में।

संख्या प.3(54)पीएचई/2012/:– माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा वर्ष 2011–12 के बजट में संविधान के 74वें संशोधन को दृष्टिगत रखते हुए, प्रथम चरण में प्रत्येक संभाग से एक शहर में पेयजल आपूर्ति का कार्य, नगरीय निकायों को हस्तान्तरित किये जाने की घोषणा की गई थी। इसके अंतर्गत बीकानेर संभाग में श्रीगंगानगर, जोधपुर संभाग में जैसलमेर, कोटा संभाग में बूंदी, अजमेर संभाग में नागौर, भरतपुर संभाग में करौली, उदयपुर संभाग में नाथद्वारा एवं जयपुर संभाग में चौमू कुल 7 शहर सम्मिलित है। शहरी निकाय नोखा के अध्यक्ष द्वारा समय–समय पर नोखा शहर की पेयजल योजना के संचालन एवं सधारण का सम्पूर्ण कार्य निकाय को सौपें जाने के अनुरोध के मध्यनजर स्वायत्त शासन विभाग ने नोखा शहर को भी सम्मिलित करते हुए उनके द्वारा प्रस्तावित मंत्रीमण्डल ज्ञापन क्रमांक प.3(106)(64) आई.पी.एम.यू–डब्लू.एस. दिनांक 24.07.2012 में राज्य के 8 शहरो में जल प्रदाय योजनाएं जन स्वा. अभि. विभाग से संबंधित नगरनिकायों को हस्तान्तरित करने हेतु मंत्रीमण्डल के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया गया।

दिनांक 03.10.2012 को आयोजित मंत्रीमण्डल की बैठक में स्वायत्त शासन विभाग द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन क्रमांक प.3(106)(64) आई.पी.एम.यू–डब्लू.एस. दिनांक 24.07.2012 पर विचार–विमर्श कर ज्ञापन में अंकित राज्य के 8 शहरों यथा–श्रीगंगानगर, जैसलमेर, बून्दी, नागौर, करौली, नाथद्वारा, चौमू एव नोखा में जल प्रदाय योजनायें जन स्वा. अभि. विभाग से संबंधित नगरपालिका को हस्तानान्तरित किये जाने संबंधी प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। इस बाबत् मंत्रीमण्डल की आज्ञा 204/2012, मुख्य सचिव राजस्थान सरकार के क्रमांक डी.204/मं.मं./2012 जयपुर, दिनांक 04 अक्टूबर, 2012 द्वारा Convey की गई।

मंत्रीमण्डल की आज्ञा 204/2012 की अनुपालना में 8 शहरों यथा–श्रीगंगानगर, जैसलमेर, बून्दी, नागौर, करौली, नाथद्वारा, चौमू एव नोखा में जल प्रदाय योजनायें जन स्वा. अभि. विभाग से संबंधित नगरपालिका को हस्तानान्तरित किये जाने की आज्ञा निम्नालिखित शर्तो के साथ प्रदान की जाती है :–

1. शहरी जल प्रदाय योजनाओं हेतु समर्पित (Dedicated) जल उत्पादन केन्द्र, हैडवर्क्स, पम्पहाउस, फिल्टर प्लाण्ट, नलकूप, हैण्डपम्प, सिंगलफेज नलकूप, पाईपलाईन, जलाशय, कार्यालय भवन, भण्डार संबंधित निकायों को स्थानान्तरित किये जावेगें। जन स्वा. अभि. विभाग द्वारा हस्तान्तरित की जाने वाली पेयजल संबंधी सभी सम्पदाओं का मूल स्वामित्व राज्य सरकार का रहेगा तथा संबंधित शहरी निकाय द्वारा उनका संचालन एवं संधारण कार्य किया जायेगा। ये संपदायें लाईसेन्सी के रूप में संबंधित शहरी निकाय के रख–रखाव में रहेगी।
2. जो उत्पादन केन्द्र (सतही/भू–जल) उक्त शहरी जल योजनाओं के साथ–साथ अन्य जल प्रदाय योजनाओं के लिए भी बने हुए है, उनका संचालन एवं संधारण जन स्वा. अभि. विभाग द्वारा ही किया जाता रहेगा। इन साझा जल उत्पादन केन्द्रों से आवश्यकतानुसार पेयजल उपलब्ध करवाया जावेगा एवं वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित दर पर मीटर गणना के अनुसार जन स्वा. अभि. विभाग स्थानीय निकाय विभाग को बल्क सप्लाई की लागत वसूल करेगा।
3. जन स्वा. अभि. विभाग के उक्त योजनाओं हेतु समर्पित (Dedicated) कार्यरत अभियांत्रिकी, मंत्रालयिक, तकनीकी स्टाफ को संबंधित शहरी निकाय मे Secondment Basis पर प्रतिनियुक्ति पर भेजा जायेगा तथा उनका लीयन जन स्वा. अभि. विभाग में ही रहेगा। प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत स्टाफ को किसी प्रकार का प्रतिनियुक्ति भत्ता देय नही होगा। इन अधिकारियों/कर्मचारियों को वेतन, वर्दी एवं अन्य भत्तों का भुगतान वर्तमान व्यवस्था के अनुसार जन स्वा. अभि. विभाग द्वारा ही किया जाता रहेगा परन्तुं ये सभी अधिकारी/कर्मचारी शहरी निकाय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत रहेंगे तथा शहरी निकाय को सभी प्रकार की प्रशासनिक एवं अनुशासनात्मक शक्तियां प्राप्त होंगी। तकनीकी

कर्मचारियों की वरीयता सूची भी जन स्वा. अभि. विभाग के अधीन शहरवार रहेगी। सभी कर्मचारी जन स्वा. अभि.विभाग के कर्मचारी ही कहलायेंगे। लेकिन जन स्वा. अभि.विभाग द्वारा प्रतिनियुक्ति किये गये स्टाफ को संबंधित नगर निकाय/स्वायत्त शासन विभाग की सहमति के बिना हटाया नही जायेगा। स्थानीय निकाय से किसी भी अभियन्ता, लेखा शाखा के कर्मचारी, मंत्रालयिक कर्मचारी की कार्यमुक्ति तभी की जाएगी जब उसके बदले मे समकक्ष स्तर का अधिकारी/कर्मचारी जन स्वा. अभि. विभाग से कार्यमुक्त होकर कार्यभार ग्रहण कर लेगा। यद्यपि स्वायत्त शासन बिभाग अपने स्तर पर शहरी निकायों में कार्यरत इन अधिकारियों का स्थानान्तरण एक निकाय से दूसरे निकाय में करने के लिए सक्षम होगा परन्तु कर्मचारियों की वरिष्ठता शहरी योजनावार होने के कारण, इनका स्थानान्तरण एक निकाय से दूसरे निकाय में नही किया जा सकेगा। शहरी निकायों द्वारा पेयजल सिस्टम को पीपीपी मॉडल पर अनुबंधित करने के बाद शहरी निकायों में प्रतिनियुक्ति अधिकारियों एवं कर्मचारियों को वापस जन स्वा. अभि.विभाग में भेजा जा सकेगा। यद्यपि पीपीपी मॉडल पर संचालित पेयजल योजना के पर्यवेक्षण तथा उससे संबंधित कार्यो के लिए जो न्यूनतम स्टाफ आवश्यक होगा यह शहरी निकाय में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत होगा। इसका आंकलन शहरी निकाय द्वारा किया जाएगा।

4. शहरी निकायों में प्रतिनियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों की कैडर स्ट्रेन्थ जन स्वा. अभि. विभाग में ही रहेगी परंतु साथ ही आवश्यकतानुसार इन पदों का सृजन सम्बन्धित स्थानीय निकाय/स्वायत्त शासन विभाग में भी किया जायेगा।

5. उपरोक्त शहरी निकायों में जहां भी पूंजीगत निर्माण कार्य जन. स्वा. अभि. विभाग अथवा आरयूआईडीपी द्वारा संपादित करवाये जा रहे है एवं ऐसे कार्य प्रगतिरत अथवा स्वीकृत हैं, वे समस्त कार्य जन. स्वा. अभि. विभाग अथवा आरयूआईडीपी द्वारा ही पूर्ण किये जाएंगे एवं कार्यो के पूर्ण हो जाने पर इन विभागों द्वारा निर्मित संपत्ति को संबंधित स्थानीय निकाय को हस्तान्तरित किया जाएगा।

6. नगर निकायों को सौंपे जाने वाली पेयजल योजनाओं को सम्पूर्ण रूप से स्वतंत्र तरीके से संचालित करने की व्यवस्था (वर्टिकल डिवोल्यूशन) के अन्तर्गत हस्तान्तरित किया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु स्वायत्त शासन विभाग के अन्तर्गत एक प्रकोष्ठ का गठन अधीक्षण अभियंता स्तर के अधिकारी के अधीन मय स्टाफ (एक अधिशाषी अभियंता, दो सहायक अभियंता, एक लेखाकार, दो कनिष्ठ लिपिक एवं दो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी) किया जावेगा। ये अभियंतागण जन.स्वा.अभि. विभाग से Secondment Basis पर स्वायत्त शासन विभाग में कार्य करेगें। अति आवश्यक होने पर स्वायत्त शासन विभाग द्वारा तकनीकी अथवा नीतिगत मामलों पर जन स्वा. अभि. विभाग से मार्गदर्शन/राय प्राप्त की जा सकती है। भविष्य में अन्य शहरों की जलप्रदाय योजनाओं को भी स्थानीय निकायों को हस्तान्तरित करने पर. स्वायत्त शासन विभाग के अन्तर्गत स्थापित उपरोक्त प्रकोष्ठ बेहतर ढंग से समन्वय कर पायेगा।

7. योजनाओं के स्थानीय निकायों को सौंपे जाने के बाद राज्य सरकार द्वारा स्थानीय निकायों को पूर्ण वित्तीय सहायता न्यूनतम पांच वर्ष तक दी जाती रहेगी। यह सहायता संस्थापन मद पर होने वाले व्यय के अलावा होगी। अधिकारियों/कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति Secondment Basis पर शहरी निकायों में होने के कारण संस्थापन मद का संचालन जन स्वा. अभि. विभाग द्वारा ही किया जाएगा तथा अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन, वर्दी एवं अन्य भत्तों का भुगतान जन स्वा. अभि. विभाग द्वारा ही किया जाएगा। वित्त विभाग द्वारा सम्बन्धित स्थानीय निकाय को शहरी पेयजल योजना पर होने वाला शुद्ध व्यय (कुल व्यय – संस्थापन व्यय – प्राप्त राजस्व) एवं जन.स्वा.अभि. विभाग द्वारा बल्क सप्लाई हेतु ली जाने वाली राशि का योग वार्षिक अनुदान के रूप में दिया जायेगा। अनुदान राशि का आंकलन विभिन्न मापदण्डों (संधारण व संचालन हेतु उपयोग में आने वाले सामान की दरों में मूल्य वृद्धि एवं विद्युत दरों में वृद्धि) के आधार पर प्रतिवर्ष किया जावेगा।

8. स्थानीय निकाय अपने स्तर पर योजना में सुधार, उत्पादन में वृद्धि, वितरण में सुदृढ़िकरण, नए जलाशयों/पम्पिंग स्टेशनों के निर्माण हेतु पूंजीगत निवेश करने की क्षमता नहीं रखते हैं इसलिए इन शहरों में किसी भी प्रकार के आवश्यक पूंजीगत निवेश के लिए राज्य सरकार अलग से बजट राशि समय–समय पर स्वीकृत करेगी। स्थानीय निकाय भी अपने स्तर पर राज्यसभा/लोकसभा सांसद एवं विधायक क्षेत्रीय विकास निधि एवं अन्य संसाधन/ऋण से भी पूंजीगत निवेश के कार्य अपने स्तर पर प्रारंभ कर सकती है। भविष्य में लाभान्वित क्षेत्र के विस्तार के फलस्वरूप योजना के संधारण में होने वाले अतिरिक्त व्यय/प्राप्त होने वाले राजस्व के अनुपात में अनुदान की राशि को बढ़ाया जाएगा।

9. नगरपालिकाओं की मांग पर राजस्थान जल प्रदाय एवं सीवरेज प्रबन्धन मण्डल/जन स्वा. अभि. विभाग अपने विशेषज्ञों से तकनीकी ज्ञान उपलब्ध करवायेगा। पेयजल व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण तथा संबंधित शहर में पेयजल के स्तर को उँचा करने के उद्देश्य से योजना पर कार्यो को कराने के लिए स्वायत्त शासन विभाग द्वारा उचित कदम उठाये जा सकेंगे, जिनमें पी.पी.पी. माडल के आधार पर योजना हेतु कैपिटल कार्य कराना तथा प्राइवेट प्लेयर द्वारा योजना का संचालन भी शामिल है।

10. योजनाओं के स्थानीय निकायों को सौंपे जाने के बाद राज्य सरकार द्वारा स्थानीय निकायों को पूर्ण वित्तीय सहायता (अधिकारियों / कर्मचारियों के वेतन एवं अन्य भत्तों पर होने वाले व्यय के अलावा) न्यूनतम पांच व तक दी जाती रहेगी।

11. योजनाओं को र री निकायों को हस्तांतरित करने के उपरांत योजनाओं की वर्तमान प्रणाली, विद्यमान लीकेज, नॉन र न्यू वॉटर की गणना, मापदण्डों के अनुसार वांछित सर्विस लेवल के अन्तर के आंकलन हेतु सक्षम एवं अनुभवी तकनीकी सलाहकारों की नियुक्ति की जाएगी जो कि समस्त मापदण्डों एवं लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए योजनाओं की efficiency बढ़ाने/लीकेज कम करने के लिए तकनीकी एवं वित्तीय रिपोर्ट तैयार करेंगे। इस कार्य के लिए आवश्यक व्यय आरयूडीएफ/राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। यह कार्यवाही योजना के हस्तांतरण के तत्काल पश्चात प्रारम्भ कर दी जावेगी। तकनीकी सलाहकार योजनावार यह परीक्षण भी करेगा कि इन योजनाओं को उपरोक्त वर्णित लक्ष्यो पर सक्षमता के साथ संचालित करने के लिए Management Contract अथवा PPP Model में से कौनसी प्रणाली उपयुक्त रहेगी।

के. एल. अग्रवाल,
उप शासन सचिव-द्वितीय
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं भूजल विभाग,
शासन सचिवालय, जयपुर।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।